

अपर समाहर्ता का न्यायालय, दुमका ।

रे0मि0 अपील सं0 09/11-12

श्याम पद गौराई.....अपीलकर्ता

बनाम

श्रीमती राधा रानी गौराई.....उत्तरकारी

॥आदेश॥

यह रे0मि0 अपील वाद सं0 09/11-12 श्याम पद गौराई श्रीमती राधा रानी गौराई सा0 रसिकपुर, के बीच अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के रे0मि0 सं0 58/04-05 में पारित आदेश दिनांक 18.11.05 के विरुद्ध में दायर किया है ।

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उभय पक्ष न्यायालय में कई तिथियों से लगातार अनुपस्थित है । इस पर उभय पक्षों को दिनांक 17.05.17 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिश निर्गत किया गया । अपीलकर्ता एवं उत्तरकारी सं0 02 पर निर्गत नोटिश का तामिला प्राप्त है । उत्तरकारी सं0 01 पर निर्गत नोटिश बिना तामिला का वापस किया गया है । जिसमें प्रक्रिया पालक का प्रतिवेदन है कि उत्तरकारी सं0 01, द्वारा नोटिश लेने से इन्कार किया गया अपीलकर्ता एवं उत्तरकारी सं0 02 पर, नोटिश का तामिला के पश्चात भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए तथा उत्तरकारी सं0 01 द्वारा नोटिश लेने से इन्कार किया गया । इससे स्पष्ट होता है कि उभय पक्षों को इस वाद में कोई अभिरूचि नहीं है अतः वाद की कारवाई समाप्त की जाती है ।


लेखापित एवं संशोधित


अपर समाहर्ता,


अपर समाहर्ता,

ज्ञापांक...30/10/17, दुमका दिनांक...21.11.17 दुमका ।

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका को आदेश की प्रति के साथ सूचनार्थ प्रेषित । प्राप्त निम्न न्यायालय का अभिलेख सं0 आर0एम0 58/04-05 श्यामा पद गौराई बनाम राधा रानी गौराई का मूल में संलग्न कर भेजा जाता है ।


अपर समाहर्ता,
दुमका ।
21/11/17